संलग्नक संख्या–3

परिशिष्ठ
(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की

धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म भाग–1

(प्रयोक्ता द्वारा भरे जाने के लिए)

1	परियोजना का विवरण	
क)	अपेक्षित वन भूमि के प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षित विवरण	जनपद–देहरादून गरूरी स्थित श्री अगित राजेन्द्र कुमार गुप्ता की निजी वन भूगि स्थित श्रीनगर इस्टेट, कैम्पटी–चकराता रोड, निकट गरूरी इन्टरनेशनल स्कूल, मसूरी में 4118.90 वर्गमीटर भूखण्ड में से कुल 249.96 वर्गमीटर अर्थात 0.024996 है0 भाग में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पूर्वानुमति तथा उक्त से सम्बन्धित प्रत्यावर्तन की स्वीकृति का प्रस्ताव।
ख)	1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	प्रस्ताव के सलग्नक 7 द्वारा दाखिल
ग)	परियोजाना की लागत	परियोजना प्रांकलन – सलग्नक 2 के अनुसार
घ)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	आवासीय भवन हेतु निर्माण कार्य
ङ)	लागत लाभ विषलेशण (संलग्न किए जाने के लिए)	प्रस्ताव के सलग्नक 12 द्वारा दाखिल
च)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	प्रस्ताव के सलग्नक 12 द्वारा दाखिल
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार वितरण	4118.90 वर्गमीटर भूखण्ड में से कुल 249.96 वर्गमीटर अर्थात 0.024996 है0 निर्माण हेतु प्रयोग में लाया जायेगा।
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का वितरण यदि कोई हो तो	लागू नही
	क) परिवारों की संख्या	तदैव
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	तदैव
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	तदैव
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है। (हां/नहीं)	हाँ
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः नवीनीकरण की वचनबद्वता (वचनबद्वता संलग्न की जाय)	प्रस्ताव के सलग्नक 25 द्वारा दाखिल
6	निर्देर्शो के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्रों/ दस्तावेजों का ब्यौरा	प्रस्ताव के साथ सलग्नको के अनुसार

दिनांक : 03.3.14

स्थान : मसूरी

भवदीय

(श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता)

प्रस्ताव की कम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग – II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

7.	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद–देहरादून में मसूरी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत निजी वन घोषित श्रीनगर इस्टेट में श्री अमित राजेन्द्र कुमार गुप्ता, पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता के स्वामित्व की कुल 4118.90 वर्गमीटर भूमि में से 249.96 वर्गमीटर अर्थात 0.024996 है0 भाग में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भू–प्रत्यावर्तन की पुर्वानुमति लिये जाने का प्रस्ताव।
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेअर में)	0.0024996 है0
(v)	वन की कानूनी स्थिति	निजी वन भूमि (सन् 1966 के गजट अनुसार नोटिफाईड प्राईवेट फौरेस्ट इस्टेट) तत्संबंधी गजट की प्रति प्रस्ताव के **संलग्नक–29**पर चस्पा है।
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1 से 0.2 के बीच
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.–2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.–4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावक की भूमि पर विभिन्न प्रजाति के 25 वृक्ष अवस्थित हैं।उक्त वृक्षों में से **पड़ंग 30–40 व्यासवर्ग का 01, बांज 20–30 व्यासवर्ग का 01 तथा शहतूत 10–20 व्यासवर्ग का 01 कुल 03 वृक्ष** प्रस्तावित निर्माण कार्य में बाधक है। इसके अतिरिक्त किसी वृक्ष का पातन प्रस्तावित नहीं है। प्रमाण पत्र **संलग्नक–22** पर चस्पा है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूवैज्ञानिक की भूगर्भीय/भूतकनीकी आख्या प्रस्ताव के **संलग्नक–5** पर चस्पा है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	स्थल के आस पास प्रस्तावक तथा अन्य व्यक्तियों की निजी भूमि है। प्रश्नगत स्थल के आस पास आरक्षित वन भूमि नहीं है, अपितु आरक्षित वन प्रस्तावित स्थल से लगभग 10.00 किमी. दूरी पर है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधिति की जाए)	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के **संलग्नक–23** पर दिया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न /विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है।यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के **संलग्नक–21** पर दिया गया है।

DFO

8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के **संलग्नक–19, 20** पर दिया गया है तथा स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्नक–4) में भी इस आशय का उल्लेख है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी प्रस्तावित स्थल/निजी भूमि का स्थलीय निरीक्षण **दि0 03–06–2014** को किया गया है। तत्संबंधी रिपोर्ट **संलग्नक–4/1** पर है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	आवेदक के स्वामित्व की निजी भूमि कुल 4118.90 वर्गमीटर है। जिसमें से 249.96 वर्गमीटर अर्थात 0.024996 हे0 भाग में प्रस्तावित निर्माण कार्य किया जाना है। अतः प्रस्तावित भूमि 1 है0 से कम होने की दशा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना लागू नहीं होगा। किन्तु प्रस्तावित स्थल के आस पास प्रस्तावक की ही खाली भूमि पर उचित वृक्षों के रोपण किये जाने हेतु तत्संबंधी प्रांकलन प्रस्ताव के **संलग्नक 25सी** पर तथा प्रस्तावित कार्य को 1:50,000 के मानचित्र जो कि संलग्नक 8 पर है, प्रदर्शित किया गया है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	आवेदक के स्वामित्व की निजी भूमि कुल 4118.90 वर्गमीटर है। जिसमें से 0.024996 हे0 भाग में प्रस्तावित निर्माण कार्य किया जाना है। अतः प्रस्तावित भूमि 1.00 है0 से कम होने की दशा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना लागू नहीं होगा।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षों के रोपण हेतु चयनित स्थल को प्रस्ताव के **संलग्नक–8** में दिये गये मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रांकलन प्रस्ताव के संलग्नक 26/ए. है। जलवायु अनुकूल उचित प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण लागू नहीं। किन्तु प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षों का रोपण किये जाने के संबंध प्रांकलन **संलग्नक–26/सी** पर है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	लागू नही।

DFO